

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, औरैया वन प्रभाग, औरैया।
पत्रांक 1518/14-10-1 दिनांक, औरैया, जनवरी 17 2017
सेवा में,

महाप्रबन्धक,
एस0ई0यू0पी0पी0टी0सी0एल0,
विभूतिखण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ।

विषय: 765के0वी0 सिंगल सर्किट मैनपुरी-बारा पारेषण लाईन सर्किट-1 के निर्माण कार्य हेतु कानपुर नगर, कानपुर देहात, इलाहाबाद, औरैया, मैनपुरी एवं फतेहपुर वन प्रभागों में कुल 19.474हे0 वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की पत्र संख्या-1480/11-सी-FP/UP/Trans/15538/2015 दिनांक 13.01.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की पत्र संख्या-1480/11-सी-FP/UP/Trans/15538/2015 दिनांक 13.01.2017 का पत्र, जो आपको भी पृष्ठांकित है (छायाप्रति संलग्न), के क्रम में अवगत कराना है कि उनके द्वारा जो आपत्तियाँ लगायी गई हैं, उनका निराकरण आपके स्तर से अपेक्षित है।

अतः आपको पत्र की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा ही है कि जनपद औरैया से सम्बन्धित वांछित सूचना सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर विलम्बतम 03 दिन के अन्दर पूर्ण कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रभाग की अनुपालन आख्या ससमय उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जा सके।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(सुंदरेश)

प्रभागीय वनाधिकारी,
औरैया वन प्रभाग, औरैया।

01/